INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions ofthe authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in theJournal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

ISSN: 2582-6433

EDITORIALTEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor
School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC-NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India. India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi. (2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

ISSN: 2582-6433

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi. Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship. He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi. Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi. He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN- 2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

ISSN: 2582-6433

साइबर अपराध

प्रस्तुतकर्ता –

बहादुर बामनिया, रानी अचले

विधि एवं विधि अध्ययन संस्थान, इंदौर

IJLRA

1. परिचय
2. साइबर अपराध क्या हैं
3. साइबर अपराध के प्रकार
4. साइबर अपराध के उदाहरण
5. साइबर अपराध से बचने के उपाय
6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कुछ प्रावधान
7. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रावधान
8. निष्कर्ष

परिचय

कंप्यूटर, इंटरनेट, या मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किए जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहते हैं. साइबर अपराध, व्यक्तियों, कंपनियों, या संस्थाओं के ख़िलाफ़ किए जाते हैं. साइबर अपराधों में हैकिंग, फ़िशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर, और मैलवेयर हमले शामिल हैं.

साइबर अपराध

साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिस में कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है किसी भी कंप्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है कंप्यूटर अपराध मे नेटवर्क शामिल नही होता है किसी कि निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना किसी की भी

निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है

कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किये जाते है जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी मे फेर बदल करना, किसी कि जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागो को चोरी करना या नष्ट करना साइबर अपराध भी कई प्रकार के है जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक़्त नजर रखना [1]

साइबर अपराध के प्रकार

साइबर अपराध के निम्नलिखित प्रकार हैं

स्पैम ईमेल- अनेक प्रकार के ईमेल आते है जिसमें एसे ईमेल भी होते है जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुचाते है उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती हैं

हैकिंग- किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना जेसे की उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड और फिर उसमे फेर बदल करना

साइबर फिशिंग- किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकी वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके यह ईमेल आकर्षित होते है

वायरस फैलाना -साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कम्प्युटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं, इनमें वायरस, वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल हैं, यह आपके कंप्यूटर को काफी हानि पहुॅचा सकते हैं

सॉफ्ट्वेयर पाइरेसी – सॉफ्ट्वेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अन्तर्गत आता है, इससे साफ्ट्वेयर कम्पनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं

फर्जी बैंक कॉल- आपको जाली ईमेल, मैसेज या फोन कॉल प्राप्त हो जो आपकी बैंक जैसा लगे जिसमें आपसे पूछा जाये कि आपके एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है और यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गयी तो आपको खाता बन्द कर दिया जायेगा या इस लिंक पर सूचना दें याद रखें किसी भी बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी भी इस तरह से नहीं मॉगी जाती है और भूलकर भी अपनी किसी भी इस प्रकार की जानकारी को इन्टरनेट या फोनकॉल या मैसेज के माध्यम से नहीं बताये

सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना – बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यूजर्स उनके इरादें समझ नहीं पाते हैं और जाने-

अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं, लेकिन यह भी साइबर अपराध और साइबर-आतंकवाद की श्रेणी में आता है

साइबर बुलिंग – फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियॉ देना किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि तंग हो जाये, इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं इससे इनके सेहत पर भी असर पडता है

साइबर अपराध के कुछ उदाहरण:

फ़िशिंग

पहचान की चोरी

रैनसमवेयर

मैलवेयर हमले

इंटरनेट धोखाधड़ी

क्रेडिट कार्ड की चोरी

वित्तीय अपराध

अवैध सामग्री बेचना

अश्लील साहित्य

ऑनलाइन जुआ

साइबर अपराध से बचने के लिए:

किसी भी अंजान सॉफ़्टवेयर या प्रोग्राम को डाउनलोड न करें.

किसी भी अंजान ईमेल को न खोलें.

हमेशा अपने ईमेल को वायरस/मालवेयर से स्कैन करते रहें.

कभी भी किसी खुले वाईफ़ाई का इस्तेमाल न करें, जब तक कि वह विश्वसनीय न हो.

अपने बैंक के संदेशों और खाते की जांच करते रहें.

बैंक कभी भी आपसे एटीएम, यूपीआई, या ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान

मानव समाज के विकास के नज़रिए से सूचना और संचार तकनीकों की खोज को बीसवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जा सकता है सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों, ख़ासकर न्यायिक प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसकी तेज़ गति, कई छोटी-मोटी दिक्कतों से छुटकारा, मानवीय गलतियों की कमी, कम ख़र्चीला होना जैसे गुणों के चलते यह न्यायिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है इतना ही नहीं, ऐसे मामलों के निष्पादन में, जहां सभी संबद्ध पक्षों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य न हो, यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प सिद्ध हो सकता है सूचना तकनीक क़ानून के अंतर्गत उल्लिखित आरोपों की सूची निम्नवत है:

कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश-धारा 65

कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश-धारा 66

संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 ए

कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को ग़लत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 बी

किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 सी

अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 डी

किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 इ

साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 एफ

आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान-धारा 67

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 ए

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो-धारा 67 बी

मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 सी

सुरक्षित कंप्यूटर तक अनधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान-धारा 70

डाटा या आंकड़ों को ग़लत तरीक़े से पेश करना-धारा 71

आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 ए

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 ए

फर्ज़ी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन-धारा 73

सूचना तकनीक क़ानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार

हासिल है

भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं में साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों का ज़िक्र है. इनमें से कुछ धाराएं ये रहीं:

धारा 294: अश्लील सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण

धारा 77: महिला के निजी अंगों या क्रियाओं की सहमति के बिना तस्वीरें लेना या प्रकाशित करना

धारा 303: मोबाइल फ़ोन, डेटा, या कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ़्टवेयर से जुड़ी चोरी

धारा 317: चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, या डेटा प्राप्त करना

धारा 318: पासवर्ड चोरी, फ़र्ज़ी वेबसाइटें बनाना, और साइबर धोखाधड़ी

धारा 336: ईमेल स्पूफ़िंग और ऑनलाइन फ़र्ज़ीवाड़ा

धारा 356: मानहानि, जिसमें ईमेल के ज़रिए मानहानिकारी सामग्री भेजना भी शामिल है

धारा 357: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर झूठी जानकारी फैलाना

निष्कर्ष

साइबर अपराध किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है इसमें राष्ट्रीय अशांति, वितीय संकट सेवाओं के बंद होने आदि को ट्रिगर करने की ख़तरनाक क्षमता है अकेले 2020 में भारत पचास हज़ार से ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए ये साइबर अपराध हज़ारों निर्दोष व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं साथ ही, जागरूकता या बुनियादी ढांचे 'की कमी के कारण कई साइबर हमले के मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं साइबरस्पेस कनेक्टेड रहने के लिए एक शानदार जगह है, चाहे लोग शारीरिक रूप से कितने भी दूर क्यों न हों हालाँकि, जब साइबर कानूनों के प्रवर्तन की बात आती है तो यह एक ग्रेषेरभी

है साइबरस्पेस गतिशील प्रकृति 'कारण साइबर कानूनों को कानून बनाने और लागू करने में कई चुनौतियाँ शामिल हैं फिर भी, सरकार को लोगों को साइबर-जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें साइबर हमलों से दूर रहने और साइबर-सुरक्षित रहने में मदद मिल सके